



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा –2015

आयोजन की सूचना दिनांक 05.03.2016

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि	परीक्षा अवधि
दिनांक 08.03.2016 से	दिनांक 25.03.2016 से	दिनांक 12.04.2016 से
दिनांक 20.03.2016 तक	दिनांक 10.04.2016 तक	दिनांक 21.04.2016 तक

- 01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यसेवा परीक्षा 2015 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2015 दिनांक 29.10.2015 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 01.03.2016 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 का आयोजन दिनांक 12.04.2016 से दिनांक 21.04.2016 तक इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

दिन	दिनांक	विषय	समय
मंगलवार	12.04.2016	सामान्य अध्ययन-1	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
बुधवार	13.04.2016	सामान्य अध्ययन-2	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
शनिवार	16.04.2016	सामान्य अध्ययन-3	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
सोमवार	18.04.2016	सामान्य अध्ययन-4	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
बुधवार	20.04.2016	सामान्य हिन्दी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
गुरुवार	21.04.2016	निबंध	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है।

- 02 लिखित परीक्षा में सफल आवेदकों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2016 (दोपहर 12:00 बजे) से 20.03.2016 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/-	₹ 800/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	
आवेदन तथा परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एम.पी.आनलाइन से हेल्पलाइन -0755-4019400 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं	

- 03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 14.03.2016 से दिनांक 22.03.2016 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किये जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जायेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2014 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।
- 04 लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25.03.2016 से दिनांक 10.04.2016 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

05 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फ़ोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फ़ोटोकापी मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फ़ोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय-पत्र				

06 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों तथा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबन्धित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-

- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
- (2) निःशक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
- (3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो ।

07 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 में सामान्य अध्ययन के चार प्रश्न-पत्र तथा सामान्य हिन्दी एवम निबन्ध लेखन के दो प्रश्न-पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्नपत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम में तथा शेष दोनों प्रश्न-पत्र केवल हिन्दी माध्यम में होंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र में अभ्यर्थियों को सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्रों के भाषा विकल्प (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) का चयन करना होगा।

08 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2015 के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है।


सचिव